32/c

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
(कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग)

हिन्दी निबंध, हिन्दी टिप्पण–आलेखन, हिन्दी सुलेख, हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी टाइप (लिखित/मौखिक) प्रतियोगिता 2019–2020 में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रपत्रः–
(प्रपत्र के सभी कॉलम भरने अनिवार्य हैं)

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम :
2. पिता/पति/माता का नाम :
3. पदनाम (ग्रेड पे अवश्य लिखें) :
4. शैक्षिक योग्यता :
5. क्या आप अनु.जा./जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/सामान्य वर्ग से संबंधित है :
6. विभाग का नाम व पूरा पता दूरभाष संख्या सहित। :
7. ई–मेल आईडी (अवश्य लिखें) :
8. कर्मचारी के हस्ताक्षर :

अग्रसारित करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं मोहर

नोटः कृपया प्रपत्र भरने से पूर्व संलग्न नियमावली अवश्य पढ़ें।

नकल की नकल

14. सचिव (भाषा), दिल्ली सरकार को इन प्रतियोगिताओं की नियमावली के किसी उपबंध, पुरस्कारों की राशि, संख्या, और परीक्षा के स्थान, तिथि व समय आदि में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार होगा ।

15. इन प्रतियोगिताओं से संबंधित किसी भी विवाद, शिकायत या इसके उपबंधों के निर्वहन आदि के बारे में, सचिव (भाषा), दिल्ली सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

16. इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार के भाषा विभाग तथा हिन्दी अकादमी के कर्मचारी एवं किसी अन्य संस्थान के **राजभाषा विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी** भाग नहीं लेंगे। शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् एवं अन्य किसी स्कूल के अध्यापकगण इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगे।

17. प्रत्येक प्रतियोगिता के किसी एक वर्ग में इस वर्ष प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रतियोगी अगले एक वर्ष तक उस प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र नहीं होगा। जो प्रतियोगी इस वर्ष की प्रतियोगिता में द्वितीय या तृतीय पुरस्कार प्राप्त करते हैं, वे अगले वर्ष की प्रतियोगिता में केवल उससे ऊपर के पुरस्कार अर्थात् प्रथम या द्वितीय पुरस्कार के लिए ही पात्र होंगे। जो प्रतियोगी प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करते हैं वे एक वर्ग में लगातार केवल दो वर्ष तक ही प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र होंगे।

18. प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर प्रतियोगी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा इसके अतिरिक्त उसे अगले तीन वर्षों के लिए प्रतियोगिता से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसी अनियमितता की सूचना उसके विभाग को उचित कार्यवाही हेतु भेज दी जायेगी।

19. प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए कम से कम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

(iii) वर्ग "ग" चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के समस्त कर्मचारी। 37

(iv) वर्ग "घ" समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित हैं।

10. **हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण प्रतियोगिता का समय एक घंटे का होगा और इसके पूर्णांक 100 होंगे। इस प्रतियोगिता में कार्यालय के रोजमर्रा के विषयों से संबंधित हिन्दी में टिप्पणी एवं पत्र/परिपत्र/आदेश/ज्ञापन के प्रारूप लिखने होंगे । मूल्यांकन भाषा–शैली, विषयपरकता, नियमों के अनुसार प्रस्तुतिकरण के आधार पर किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगें:–**

(i) वर्ग "क" में 4600/–रुपये या उससे अधिक ग्रेड पे में कार्यरत समस्त (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग सहित) अधिकारी/कर्मचारी शामिल होंगे।

(ii) वर्ग "ख" चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर सामान्य वर्ग के अन्य समस्त कर्मचारी।

(iii) वर्ग "ग" चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के समस्त कर्मचारी।

(iv) वर्ग "घ" समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित है।

11. **हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता का समय 5 मिनट होगा । इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगे :–**

(i) वर्ग "क" में 4600/–रुपये या उससे अधिक ग्रेड पे में कार्यरत समस्त (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग सहित) अधिकारी/कर्मचारी शामिल होंगे।

(ii) वर्ग "ख":– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के समस्त कर्मचारी।

(iii) वर्ग "ग":– समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित है।

12 **प्रत्येक प्रतियोगिता के लिये नकद पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित है :–**

प्रथम पुरस्कार	(एक)	4000/–रूपये
द्वितीय पुरस्कार	(एक)	3000/–रूपये
तृतीय पुरस्कार	(एक)	2000/–रूपये
प्रोत्साहन पुरस्कार	(पांच)	800/–रूपये

13. कोई भी अधिकारी/कर्मचारी सभी प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हो सकता है लेकिन उन्हें पुरस्कार केवल किसी एक प्रतियोगिता में ही दिया जायेगा, जिसमें उसकी मेरिट बेहतर होगी। यदि दो अधिकारी/कर्मचारियों ने समान अंक प्राप्त किये है तो रोल नम्बर के अनुसार पुरस्कार दिया जायेगा।

35/c

विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं की नियमावली (वर्ष 2019–2020)

1. इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ समस्त स्वायत्त निकाय अर्थात् दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, समस्त जिला एवं सत्र न्यायालय और दिल्ली जल बोर्ड इत्यादि के अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं ।

2. ये प्रतियोगिताएं निःशुल्क हैं ।

3. इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना नाम **कार्यालयाध्यक्ष, कला,संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, बी–विंग, छठा तल, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 इस्टेट, नई दिल्ली** के पास उचित माध्यम से भेजने होंगे ।

आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं का विवरण निम्न प्रकार से है :–

4. हिन्दी आशुलिपि **प्रतियोगिता में हिन्दी में 5 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी तथा डिक्टेशन पूर्ण** होने के पश्चात् **प्रतियोगी को उत्तर पुस्तिका पर डिक्टेशन का हिन्दी रूपान्तरण अनिवार्य रूप** से 40 **मिनट टाइप करके प्रस्तुत करना होगा। हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता 100 शब्द प्रति** मिनट **की गति से ली जायेगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा ।**

5. हिन्दी टाइप (मौखिक) प्रतियोगिता 5 मिनट की होगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा तथा लिखित प्रश्न–पत्र नहीं दिया जाएगा।

6. हिन्दी टाइप (लिखित) प्रतियोगिता 5 मिनट की होगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा तथा लिखित प्रश्न–पत्र दिया जाएगा।

7. कम्प्यूटर पर हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टाइप (मौखिक/लिखित) परीक्षा दिनांक **19.09.2019** एवं **20.09.2019** को **कम्प्यूटर कक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नौवां तल, बी–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–02 में होगी।**

9. **हिन्दी निबंध प्रतियोगिता में प्रतियोगी को दिए गए विषयों में से किसी एक पर कम से कम 500 शब्दों का निबंध लिखना होगा जो 100 अंकों का होगा और समयावधि 45 मिनट होगी। अहिन्दी भाषी प्रतियोगियों के निबंध के शब्दों की संख्या कम से कम 350शब्द होनी चाहिए। निबंध का मूल्यांकन भाषा शैली, विषयपरकता, अभिव्यक्ति आदि मानकों के आधार पर किया** जाएगा। **इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगे :–**

(i) वर्ग "क" में 4600/–रुपये या उससे अधिक ग्रेड पे में कार्यरत समस्त (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग सहित) अधिकारी/कर्मचारी शामिल होंगे।

(ii) वर्ग "ख" चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर सामान्य वर्ग के अन्य समस्त कर्मचारी।

361c

फा.सं. 08(02)/2019–20–क०सं० एवं भाषा/ 1163 - 1263 दिनांक: 16/7/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, ए–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिन्दी कार्यान्वयन समिति जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय,तीस हजारी, दिल्ली।
6. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।
7. आयुक्त, दक्षिण/उत्तर, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली।
8. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम, 419, उद्योग सदन, पटपटगंज, औद्योगिकी क्षेत्र, दिल्ली–92.
9. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली।
10. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
11. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला रोड़, आई०पी०एस्टेट, नई दिल्ली ।
12. प्रबंधक (मा.सं.), प्रशिक्षण एवं हिन्दी अनुभाग, इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ओ एंड एम भवन राजघाट पावर हाउस, नई दिल्ली–02.
13. निदेशक (कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरूणालय फेस–2, झण्डेवालान, नई दिल्ली ।
14. प्रशासनिक अधिकारी, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यू.टी.सी.एस. बिल्डिंग, विश्वास नगर, दिल्ली ।
15. दिल्ली सरकार के समस्त स्वायत्त निकाय/निगम, दिल्ली/नई दिल्ली।
16. प्रधानाचार्य, राजकीय सहशिक्षा उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, नं.–1, लुडलो कैसल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली–54
17. दिल्ली सरकार के अंतर्गत समस्त समितियाँ/बोर्ड/परिषद्/संगठन, दिल्ली/नई दिल्ली।
18. कला, संस्कृति एवं भाषा को वेबसाइट पर डालने के संदर्भ में।

16/7/19

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)
दूरभाष संख्या: 011–23392001–06
इन्टरकॉम नम्बर: 3715

371c

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी–विंग, सातवां तल,आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(02)/2019–20–क0सं0 एवं भाषा/ 1163 – 1263

दिनांक: 16/7/19

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा
समस्त विभागाध्यक्ष, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।

विषय: विविध हिन्दी प्रतियोगिताएं 2019–2020 के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ाने, इसका प्रचार प्रसार करने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रूचि पैदा करने के लिये भाषा विभाग द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रयास किये जाते हैं । इसी क्रम में दिनांक 16.09.2019, 17.09.2019 एवं 18.09.2019 को हिन्दी की विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, नं.–1, लुडलो कैसल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली–54 में दोपहर 3.30बजे से किया जाना है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

दिनांक	प्रतियोगिता का नाम	उपस्थित होने का समय	स्थान
16.09.2019	हिन्दी निबंध प्रतियोगिता वर्ग "क" "ख", "ग" तथा "घ"	3.00बजे	राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, नं.1, लुडलो कैसल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली–54
17.09.2019	हिन्दी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता वर्ग "क" "ख", "ग" तथा "घ"	–वही–	–वही–
18.09.2019	हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता वर्ग "क", "ख" तथा "ग"	–वही–	–वही–
19.09.2019	हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता	सुबह 11.00 बजे से प्रारंभ	कम्प्यूटर कक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नौवां तल, बी–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–02 (कम्प्यूटर पर परीक्षा देने वाले)
20.09.2019	हिन्दी टाइप (मौखिक) एवं हिन्दी टाइप (लिखित)	सुबह 11.00 बजे से प्रारंभ	–वही–

उपरोक्त हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टाइप (मौखिक/लिखित) दोनों परीक्षाएं दिनांक 19.09.2019 एवं 20.09.2019 को कम्प्यूटर कक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नौवां तल, बी–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–02 (कम्प्यूटर पर परीक्षा देने वाले) स्थित कार्यालय में होंगी। कृपया अपने विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को इन प्रतियोगिताओं के आयोजन के बारे में अवगत कराने का कष्ट करें और प्रतियोगिता में शामिल होने के लिये इच्छुक प्रतियोगियों को सीधे परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने की अनुमति प्रदान करते हुए उनके नाम निर्धारित प्रपत्र में उचित माध्यम द्वारा भरकर दिनांक 07.09.2018 तक इस विभाग में भिजवाने का कष्ट करें ।

विशेष टिप्पणी :–

आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं की नियमावली एवं प्रपत्र इसके साथ संलग्न है। प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक प्रतियोगियों से अनुरोध है कि वे अपना नाम भिजवाने से पूर्व संलग्न की गई नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

इस बार भी कम्प्यूटर पर हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टाइप (मौखिक/लिखित) परीक्षा ली जायेगी। कम्प्यूटर पर परीक्षा देने वाले प्रतियोगी उपरोक्त पते पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में पूर्वाह्न 10.30बजे तक परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे। परीक्षा से संबंधी सूचना नीचे दी गई विभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

टीप: संबंधित जानकारी विभाग की वेबसाइट **www.artandculture.delhigovt.nic.in+Centralized Circular** पर देखी जा सकती है।

भवदीय

16/7/19

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
(कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग)

हिन्दी टिप्पण व प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) वर्ष 2019–2020 में भाग लेने के लिये अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भरे जाने वाला निर्धारित प्रपत्र :–

(मूल्यांकन की अवधि 01.07.2018 से 31.12.2018 (01 जुलाई, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक))

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम :

2. पिता/पति का नाम :

3. पदनाम (ग्रेड पे सहित) :

4. विभाग का नाम व पूरा पता दूरभाष/मोबाईल संख्या सहित (दूरभाष संख्या लिखना अनिवार्य है) :

5. हिन्दी में किए गए कार्यों का ब्यौरा (प्रतिलिपि सहित) :

6. अहिन्दी भाषी/हिन्दी भाषी (लिखना अनिवार्य है)) :

7. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर :

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर एवं मोहर

नोटः कृपया प्रपत्र भरने से पूर्व संलग्न नियमावली अवश्य पढ़ें।

हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) की नियमावली (वर्ष 2019–2020)

1. इस प्रतियोगिता का नाम हिन्दी टिप्पण व प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) होगा।

2. इस प्रतियोगिता का उद्देश्य दिल्ली सरकार के विभागों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देना तथा अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी में सरकारी कामकाज के प्रति रूचि पैदा करना है ।

3. इस प्रतियोगिता में दिल्ली सरकार के भाषा विभाग, दिल्ली नगर निगम (पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली ट्रांसको लि0, हिन्दी आशुलिपिक, हिन्दी अकादमी, दिल्ली पुलिस तथा किसी अन्य विभाग के राजभाषा विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर दिल्ली सरकार के समस्त विभागों/स्वायत्त निकायों/निगम के अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं ।

4. **इस प्रतियोगिता के मूल्यांकन की अवधि 01.07.2018 से 31.12.2018 (01 जुलाई, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018) तक होगी ।**

5. उपर्युक्त अवधि में हिन्दी में लिखी टीपों/प्रारूपों की जांच की जायेगी ।

6. टीप के बीच में आए पारिभाषिक अंग्रेजी शब्दों पर कोई आपत्ति नहीं होगी । हिन्दी में नोट लिखते समय किसी अंग्रेजी शब्द को देवनागरी/रोमन में लिखने पर टीप हिन्दी में ही मानी जायेगी । व्याकरण/वर्तनी (स्पेलिंग) की छोटी–मोटी भूलों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा ।

7. टीप में "देखा", "धन्यवाद", "कृपया चर्चा करें", "फाईल करें" इत्यादि शब्दों को भी एक–एक लाईन माना जायेगा।

8. हिन्दी में सबसे अधिक कार्य करने वाले विभाग को विभागीय पुरस्कार के रूप में एक राजभाषा शील्ड भी दी जायेगी।

9. इस प्रतियोगिता से संबंधित प्रोफार्मा भरकर दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 तक भिजवाना आवश्यक है।

10. प्रतियोगिता में दो वर्ग होंगें (1) अधिकारी वर्ग, इस वर्ग में अधीक्षक, समकक्ष एवं उच्च अधिकारी तथा (2) कर्मचारी वर्ग में लिपिक से लेकर सहायक के पद तक तथा अपने विभाग में डायरी, डिस्पैच, अन्य सरकारी कार्य या उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपा गया विभागीय कार्य हिन्दी में करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित होंगे।

11. दोनों वर्गों में पुरस्कार राशि निम्न प्रकार से होगी:–

	पुरस्कारों की संख्या	*वर्तमान राशि*
(1) अधिकारी वर्ग	20 पुरस्कार	4000/–रूपये (प्रत्येक)
(2) कर्मचारी वर्ग	प्रथम पुरस्कार	4000/–रूपये (एक)
	द्वितीय पुरस्कार	3000/–रूपये (एक)
	तृतीय पुरस्कार	2000/–रूपये (एक)
	प्रोत्साहन पुरस्कार	800/–रूपये (तीस)(प्रत्येक)

12. इस प्रतियोगिता में 4600/–रुपये या उससे अधिक ग्रेड पे में कार्यरत समस्त (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग सहित) कर्मचारी, अधिकारी वर्ग में सम्मिलित होंगे।

13. अधिकारी वर्ग में 5 पुरस्कार अहिन्दी भाषी अधिकारियों को दिये जाने का प्रस्ताव है यदि अहिन्दी भाषी अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके स्थान पर ये पुरस्कार हिन्दी भाषी अधिकारियों को दिये जायेंगे।

14. निर्धारित प्रपत्र में अहिन्दी भाषी (अधिकारी/कर्मचारी) लिखाना अनिवार्य है।

15. इस प्रतियोगिता में दिल्ली सरकार के भाषा विभाग तथा हिन्दी अकादमी के कर्मचारी एवं किसी अन्य स्वायत्त निकाय/स्थानीय निकाय/संस्थान के **राजभाषा विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी** भाग नहीं लेंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के प्रधानाचार्य/उप–प्रधानाचार्य एवं अध्यापक भी भाग नहीं ले सकेंगे।

16. सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) को प्रतियोगिता के नियमों में तथा पुरस्कारों की राशि में फेरबदल करने का पूरा अधिकार होगा। इस संबंध में किसी शिकायत पर सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) का निर्णय सर्वमान्य होगा।

17. इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रोफार्मा में केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा जिनकी संस्तुति संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की गई होगी।

18. नियमों की व्याख्या अथवा अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिये कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग में टेलीफोन संख्या 23392307 पर संपर्क किया जा सकता है।

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)
दूरभाष संख्याः 011–23392001–06
इन्टरकॉम नम्बरः 3715

फा.सं. 08(03)/2019–2020/क0सं0 एवं भाषा/ 475–575 दिनांक: 19/6/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिन्दी कार्यान्वयन समिति जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय,तीस हजारी, दिल्ली।
6. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।
7. आयुक्त, दक्षिण/उत्तर, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली।
8. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम, 419, उद्योग सदन, पटपटगंज, औद्योगिकी क्षेत्र, दिल्ली–92.
9. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली।
10. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
11. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला रोड़, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली ।
12. प्रबंधक (मा.सं.), प्रशिक्षण एवं हिन्दी अनुभाग, इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ओ एंड एम भवन राजघाट पावर हाउस, नई दिल्ली–02.
13. निदेशक (कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरूणालय फेस–2, झण्डेवालान, नई दिल्ली ।
14. प्रशासनिक अधिकारी, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यू.टी.सी.एस. बिल्डिंग, विश्वास नगर, दिल्ली ।
15. दिल्ली सरकार के समस्त स्वायत्त निकाय/निगम, दिल्ली/नई दिल्ली।
16. दिल्ली सरकार के अंतर्गत समस्त समितियाँ/बोर्ड/परिषद/संगठन, दिल्ली/नई दिल्ली।
17. कला, संस्कृति एवं भाषा को वेबसाइट पर अपलोड करने के संदर्भ में।

19/6/19

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)
दूरभाष संख्या: 011–23392001–06
इन्टरकॉम नम्बर: 3715

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी–विंग, सातवां तल,
आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय,नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(03)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/ 475 – 575 दिनांकः 19/6/19

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली ।

विषयः हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता–2019 (स्वेच्छा से) कार्य करने की मूल्यांकन अवधि 01.07.2018 से 31.12.2018 तक ।

महोदय/महोदया,

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाने, इसका प्रचार–प्रसार करने तथा कार्यालय कार्य हिन्दी में करने के प्रति रूचि पैदा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) का आयोजन किया जा रहा है । इस योजना के अधीन हिन्दी में सबसे अधिक कार्य करने वाले विभाग को विभागीय पुरस्कार के रूप में एक राजभाषा शील्ड, 20 राजपत्रित अधिकारियों तथा 33 अराजपत्रित कर्मचारियों को नकद पुरस्कार राशि, पदक व प्रशस्ति पत्र दिये जायेंगे । इस प्रतियोगिता के लिये अधिकारी वर्ग के लिये 20 पुरस्कारों में से 5 पुरस्कार अहिन्दी भाषी अधिकारियों को दिये जाने का प्रस्ताव है। यदि अहिन्दी भाषी अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके स्थान पर ये पुरस्कार हिन्दी भाषी अधिकारियों को दिये जायेंगे। इस प्रतियोगिता के लिये हिन्दी में कार्य करने की मूल्यांकन **अवधि 01.07.2018 से 31.12.2018** तक निर्धारित की गई है। **प्रतियोगिता की नियमावली एवं फार्म इसके साथ संलग्न है।**

समस्त विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि इस प्रतियोगिता में केवल उन्ही अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम भेजें जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के हिन्दी में किये गये कार्यो से वे स्वयं संतुष्ट हों। **इस परिपत्र के साथ संलग्न फार्म भी कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित होना चाहिये।**

कृपया अपने विभाग/कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को इस प्रतियोगिता के बारे में अवगत कराने का कष्ट करें और हिन्दी में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम मूल्यांकन की अवधि को ध्यान में रखते हुये निर्धारित प्रपत्र में **दिनांक 25 अक्तूबर, 2019** तक इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें। **निरीक्षण के उपरान्त परिणाम संबंधी सूचना नीचे दी गई विभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।**

कृपया इसे प्राथमिकता दें ।

टीपः संबंधित जानकारी विभाग की वेबसाइट **www.artandculture.delhigovt.nic.in** पर देखी जा सकती है।

भवदीय

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

जारी–/2........

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी–विंग, सातवां तल,
आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(02)/2019–2020/क0सं0 एवं भाषा/1693 – 1704 दिनांक: 13/8/2019

सेवा में,

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली
2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राउज एवेन्यु जिला, आई.टी.ओ, नई दिल्ली।
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व जिला जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर–पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली जिला, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली।
8. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
9. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर–पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
10. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण जिला, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली।
11. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण–पूर्व जिला, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली।
12. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण–पश्चिम जिला, द्वारका न्यायालय, नई दिल्ली।

विषयः हिन्दी की विविध प्रतियोगिता एवं हिन्दी टिप्पण–आलेखन प्रोत्साहन प्रतियोगिता (स्वेच्छा से), 2019–2020 के आयोजन के संबंध मे।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में देखने का कष्ट करें। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ाने, इसका प्रचार प्रसार करने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रूचि पैदा करने के लिये कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रयास किये जाते हैं । इसी क्रम में 14 सितम्बर, 2019, "हिन्दी दिवस" के उपलक्ष्य में राजभाषा हिन्दी की विविध प्रतियोगिताएं एवं हिन्दी टिप्पण–आलेखन प्रोत्साहन प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) का आयोजन किया जा रहा है। कृपया अपने न्यायालय के अधीन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम भिजवाने का कष्ट करें। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है प्रतियोगिता संबंधी संलग्न की गई नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा निर्धारित प्रपत्र में उचित माध्यम से भरकर अपने नाम यथाशीघ्र इस विभाग को भिजवाएं। उपरोक्त दोनों प्रतियोगिताओं के नियमावली एवं प्रपत्र इसके साथ संलग्न है।

भवदीय

(संजय जैन) 13/8/19
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

संलग्नः प्रपत्र एवं नियमावली

न्यायाधीश/नोडल अधिकारी

माननीय प्रभारी/ हिन्दी अधिकारी, हिन्दी विभाग परिचालन हेतु।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर–पश्चिम)
District & Sessions Judge (North-West)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली
Rohini Courts, Delhi 19/08/2019

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उ/प) जिला न्यायालय रोहिणी दिल्ली

संख्या 26460-26527 परिपत्र/हिन्दी अनुभाग (उ/प)/रोहिणी/2019 दिल्ली, दिनांक 23/8/19

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम) के निदेशानुसार परिपत्र संख्या फा.सं. /2019-2020/क०सं० एवं भाषा/1693-1704 दिल्ली, दिनाँक 13/08/2019 (संलग्न) जो कि इस न्यायालय की डायरी संख्या 4038 दिनांक 17.08.2019 द्वारा इस अनुभाग को प्राप्त हुआ है को श्री संजय जैन, उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) द्वारा निर्गमित किया गया है। इस उल्लेखित परिपत्र को संलग्नक सहित सूचना एवं इसके अनुपालन हेतु जिला न्यायालय उत्तर-पश्चिम के सभी माननीय न्यायिक अधिकारियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवं अनुभाग प्रभारियों को प्रेषित किया जाता है तथा आप सभी को सूचित किया जाता है कि इन दोनों प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले इच्छुक अधिकारी एवं कर्मचारी अपने नाम प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए निर्धारित प्रपत्र में भरकर उचित माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को 3.09.2019 तक भिजवाएं।

पूजा अग्रवाल

संलग्नक : उपर्युक्त

(पूजा अग्रवाल)
महानगर दण्डाधिकारी/नोडल अधिकारी
राजभाषा अनुभाग (हिन्दी) (उ/प)
जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली